बाद पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रस्तुत
वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेज व प्रकरण
कागज का स्वीकार किया जाकर दस्तावेज व प्रकरण
दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी
को दस्तावेज व प्रकरण कागजात जारी किया प्रतिवादी
पेश करने हेतु स्वीकार करें। स्वीकार की तामीली कायम
कायम प्रतिवादी की दरख्वास्त 19 2 की तामीली कायम
पेश होने पर कार्यवाही, लोक अदालत, मीमांसा के लिए
पेश होने पर कार्यवाही, लोक अदालत प्रतिवादी क० 19 2 की
स्वीकार जारी की जावे कारण प्रतिवादी क० 23-7-18 को पेश है।
तलबी हेतु पत्रावली दिनांक

23.7.18 उभय पक्ष [illegible] आसीन उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] अवकाश पर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 9.2.18 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी मांडल

9.2.18 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार [illegible] से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
16.3.18

16.3.18 उभय पक्ष नु[illegible] आसीन उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] अवकाश पर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 27.7.18 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी मांडल

25.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प अमरगढ़ मे पेश हुई। वादिया मय अधिवक्ता उपस्थित वादिया द्वारा धारा 88, 188 का RTA तहत प्रस्तुत किया 'ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का अमरगढ़ की जमाबंदी सं: 2070 से 2073 के खाता सं. 334 के आराजी नं. 347, 349, 546, 677, 678, 679, 680, कुल किता 07 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादिया के पिता मांगू के नाम अंकित है और प्रतिवादी सं: 1 का नाम विलोपित कर वादिया का राजस्व रेकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मे अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया।
वकील वादिया उपस्थित एवं पत्रावली मे नजाबेदी और ग्राम पंचायत अमरगढ़ के कैरम के पुस्तक की नकल व पुलिस थाने मे दी गई रिपोर्ट एवं कोर्ट के सम्मन सभी दस्तावेजो के आधार पर मनन किया गया एवं वादिया का शपथ पत्र व शपथ ग्राम के शपथ पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। एवं एक तरफा बहस सुनी गयी।

:: आदेश ::

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील मांडल के खाता सं. 334 के आराजी नं. 347 मे 02 बिघा 349 मे 09 बिस्वा, 546 मे 01 बीघा 01 बिस्वा, 677 मे 01 बीघा 01 बिस्वा व 678 मे 06 बीघा 13 बिस्वा, 679 मे 17 बिस्वा, 680 मे 03 बिस्वा कुल किता 07 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा को वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजियात मे प्रतिवादी सं. 1 नाम विलोपित किया जाता है। वादिया का नाम हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकित किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा